



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3677]

नई दिल्ली, बुधवार, नवम्बर 13, 2019/कार्तिक 22, 1941

No. 3677]

NEW DELHI, WEDNESDAY, NOVEMBER 13, 2019/KARTIKA 22, 1941

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 13 नवम्बर, 2019

का.आ. 4090(अ).—केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3 क की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने के पश्चात् कि महाराष्ट्र राज्य के नागपुर जिले के रामटेक, तहसिल में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 7 के कि.मी 652.000 से कि.मी. 723.000 जबलपुर-नागपूर सेक्शन के निर्माण (चैडा करने/चार लेन का बनाने, अतिरिक्त भूमि आदि), अनुरक्षण, प्रबंध और प्रचालन के लोक प्रयोजन के लिए वह भूमि अपेक्षित है, जिसका संक्षिप्त विवरण नीचे अनुसूची में दिया गया है, ऐसी भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है।

कोई व्यक्ति, जो उक्त भूमि में हितबद्ध है, राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से पर राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इक्कीस दिन के भीतर उक्त अधिनियम की धारा 3ग की उप-धारा (1) के अधीन पुर्वोक्त प्रयोजन के लिए ऐसी भूमि के उपयोग के संबंध में आक्षेप कर सकेगा।

ऐसा प्रत्येक आक्षेप सक्षम प्राधिकारी, अर्थात् “उपजिलाधिकारी, भूमि अर्जन (सामान्य), नागपुर” को लिखित रूप में किया जाएगा और उसमें उसके आधार अधिकथित किए जाएंगे और सक्षम प्राधिकारी, आक्षेपकर्ता को व्यक्तिगत रूप में या किसी विधि व्यवसायी द्वारा सुने जाने का अवसर देगा और ऐसे सभी आक्षेपों की सुनवाई करने के पश्चात्, तथा ऐसी और जाच करने के पश्चात्, यदि कोई हो, जिसे सक्षम प्राधिकारी आवश्यक समझे, आदेश द्वारा, या तो आक्षेपों को अनुज्ञात कर सकेगा या अननुज्ञात करेगा

उक्त अधिनियम की धारा 3 ग की उपधारा (2) के अधीन सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया गया कोई आदेश अंतिम होगा।

इस अधिसूचना के अंतर्गत आने वाली भूमि के भू-रेखांक और अन्य व्यौरे सक्षम प्राधिकारी के उक्त कार्यालय में उपलब्ध हैं और उनका हितवद्ध व्यक्तियों द्वारा निरीक्षण किया जा सकता है।

अनुसूची

महाराष्ट्र राज्य के नागपुर जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 7 के कि.मी 652.000 से किमी 723.000 के (जबलपुर नागपुर सेक्शन) तक के भूखंड को 4/6 लेन का बनाने के लिये अर्जन कि जानेवाली संरचना रही अथवा संरचना सहित भूमि का संक्षिप्त विवरण

राज्य का नाम: महाराष्ट्र		जिले का नाम: नागपुर			
क्रमिक संख्या	सर्वेक्षण संख्या	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	भूमि का क्षेत्रफल (स्थानीय इकाई)	भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टेयर)
तालुक का नाम: रामटेक					
गांव का नाम: खुमारी					
1	123	निजी(क्लास २)	एग्रीकल्चर	0.6200000(हेक्टेयर)	0.6200000
2	137	निजी(क्लास १)	एग्रीकल्चर	0.0800000(हेक्टेयर)	0.0800000
3	156	निजी(क्लास १)	एग्रीकल्चर	0.2000000(हेक्टेयर)	0.2000000
4	161	निजी(क्लास १)	एग्रीकल्चर	0.6000000(हेक्टेयर)	0.6000000
5	162/1	निजी(क्लास १)	एग्रीकल्चर	0.8000000(हेक्टेयर)	0.8000000
6	163	निजी(क्लास २)	एग्रीकल्चर	0.5700000(हेक्टेयर)	0.5700000
7	164/1	निजी(क्लास १)	एग्रीकल्चर	0.2500000(हेक्टेयर)	0.2500000
8	165	सरकारी(गवर्नमेंट ऑफ़ महाराष्ट्र)	गवर्नमेंट ऑफ़ महाराष्ट्र	0.2000000(हेक्टेयर)	0.2000000
9	166	निजी(क्लास १)	एग्रीकल्चर	0.1200000(हेक्टेयर)	0.1200000
10	176	निजी(क्लास १)	एग्रीकल्चर	0.6000000(हेक्टेयर)	0.6000000
11	177/1	निजी(क्लास १)	एग्रीकल्चर	0.5000000(हेक्टेयर)	0.5000000
12	178	निजी(क्लास १)	एग्रीकल्चर	0.7000000(हेक्टेयर)	0.7000000
कुल				5.2400	5.2400

[फा. सं. NHAI/NS-I/C-III/30/LA/NGP/MAH/3A2]

राजेश गुप्ता, उप सचिव

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS**NOTIFICATION**

New Delhi, the 13th November, 2019

S.O. 4090(E).—In exercise of powers conferred by subsection (1) of section 3A of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government, after being satisfied that for the public purpose, the land, the brief description of which is given in the Schedule below, is required for building (widening / four laning, etc.), maintenance, management and operation of National Highway No.7, in Ramtek, Tahasil on the stretch from Km. 652.000 to Km.723.000 (Jabalpur-Nagpur Section) in Nagpur District, in the State of Maharashtra, hereby declares its intention to acquire such land for the above said purpose,

Any person interested in the said land may, within twenty one days from the date of publication of this notification in the Official Gazette, raise objection to the use of such land for the aforesaid purpose under sub section(1) of section 3C of the said Act,

Every such objection shall be made to the competent authority, namely, the Deputy Collector Land Acquisition (General) Nagpur, in the State of Maharashtra, in writing and shall set out the grounds thereof and the said competent authority shall give the objector an opportunity of being heard, either in person or by a legal practitioner, and may, after hearing all such objections and after making such further enquiry, if any, as the competent authority thinks necessary, by order, either allow or disallow the objections.

Any order made by the competent authority under subsection (2) of section 3C of the said Act shall be final.

The land plans and other details of the land covered under this notification are available, and can be inspected by the interested person, at the office of the said competent authority.

SCHEDULE

Brief description of the land with or without structure, to be acquired for 4/6 lanning of National Highway No. 7 on stretch from Km 652.000 to Km 723.000 (Jabalpur- Nagpur Section) in Nagpur District, in the State of Maharashtra

State: MAHARASHTRA		District: NAGPUR			
Sno	Survey / Plot Number	Type of Land	Nature Of Land	Area (in Local Unit)	Area (in Hectare)
Taluk: Ramtek					
Village: Khumari					
1	123	Private(CLASS 2)	AGRICULTURE	0.6200000(Hectare)	0.6200000
2	137	Private(CLASS 1)	AGRICULTURE	0.0800000(Hectare)	0.0800000
3	156	Private(CLASS 1)	AGRICULTURE	0.2000000(Hectare)	0.2000000
4	161	Private(CLASS 1)	AGRICULTURE	0.6000000(Hectare)	0.6000000
5	162/1	Private(CLASS 1)	AGRICULTURE	0.8000000(Hectare)	0.8000000
6	163	Private(CLASS 2)	AGRICULTURE	0.5700000(Hectare)	0.5700000
7	164/1	Private(CLASS 1)	AGRICULTURE	0.2500000(Hectare)	0.2500000
8	165	Government(GOVERNMENT OF MAHARASHTRA)	GOVERNMENT OF MAHARASHTRA	0.2000000(Hectare)	0.2000000
9	166	Private(CLASS 1)	AGRICULTURE	0.1200000(Hectare)	0.1200000
10	176	Private(CLASS 1)	AGRICULTURE	0.6000000(Hectare)	0.6000000

11	177/1	Private(CLASS 1)	AGRICULTURE	0.5000000(Hectare)	0.5000000
12	178	Private(CLASS 1)	AGRICULTURE	0.7000000(Hectare)	0.7000000
Total				5.2400	5.2400

[F. No. NHAI/NS-I/C-III/30/LA/NGP/MAH/3A2]

RAJESH GUPTA, Dy Secy.